बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सं0–3/स्था0 विविध (क्षमता)–03/2015– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– / /2016

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :– **विभागीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें आधुनिक तकनीकी की जानकारी देने हेतु बिहार भूमि सुधार प्रशासकीय प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए क्षमतावर्द्धन राज्य योजनान्तर्गत उपबंधित राशि में से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा अधियाचित राशि रू0–1,16,790.00 (एक लाख सोलह हजार सात सौ नब्बे) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

आदेश :– **स्वीकृत।**

2. विभागीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल में वृद्धि करने तथा उन्हें आधुनिक तकनीकी की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षित करने से सम्बन्धित कार्यशाला का आयोजन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए क्षमतावर्द्धन राज्य योजनान्तर्गत विपत्र कोड–P2029000010103 विषय शीर्ष–2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत रू0–50.00 (पचास) लाख का उपबंध प्राप्त है।

3. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा उनके पत्रांक–इनभॉइस सं0–2016–17/1/19–8, दिनांक–02.05.2016 द्वारा बिहार भूमि सुधार प्रशासकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत "Social Impact Assessment" विषय पर आयोजित कार्यशाला हेतु कुल रू0–1,16,790.00 (एक लाख सोलह हजार सात सौ नब्बे) मात्र की अधियाचना की गयी है।

4. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा अधियाचित राशि कुल रू0–1,16,790.00 (एक लाख सोलह हजार सात सौ नब्बे) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. इस राशि की निकासी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी तथा "ADMINISTRATIVE STAFF COLLEGE OF INDIA" के नाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त स्वीकृत राशि का व्यय वहन मुख्य शीर्ष 2029–भू–राजस्व उपमुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–001 निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष–0103 विभाग के मुख्यालय एवं कार्यालय का आधुनिकीकरण विपत्र कोड–P2029000010103 विषय शीर्ष–2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

7. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद द्वारा राशि उपयोगिता प्रमाण एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. राशि का आवंटन अलग से निर्गत किया जायेगा।

9. प्रस्ताव में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/स्था0 विविध (क्षमता)–03/2015– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– / /2016

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–3/स्था0 विविध (क्षमता)–03/2015– 891 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 02/09/2016

प्रतिलिपि :–एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, बेला विस्टा, हैदराबाद–500082 को उनके पत्रांक–इनभॉइस सं0–2016–17/1/19–8, दिनांक–02.05.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ई–मेल
fo@asci.org.in
040-23317237

(व्यास जी),
प्रधान सचिव।